ISSN: 2349-7637 (Online)
Volume-1, Issue-4, November 2014
RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal
Research Paper

# लोक कथा के विधायक तत्त्व

Dr. Rekha Mishra

Lecturer (Hindi), Government College, Newai (Tonk), Rajasthan

***Abstract:***
लोककथाएँ किसी समाज की सांस्कृतिक स्मृति, जीवनानुभव और नैतिक मूल्यों की अमूल्य धरोहर होती हैं। ये न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि लोकजीवन के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचारित करने का माध्यम भी हैं। लोककथाओं में जीवन के विविध अनुभवों, संघर्षों, मान्यताओं और आदर्शों का सार निहित होता है। इन कथाओं के माध्यम से समाज अपने आदर्श जीवन-मूल्यों, परंपराओं और लोकदर्शन को जीवित रखता है। लोककथाओं के 'विधायक तत्त्व' अर्थात् सृजनात्मक, प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद तत्व समाज के नैतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें अच्छाई की विजय, बुराई का दमन, सत्य, साहस, न्याय, प्रेम, करुणा, दया और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का संदेश निहित होता है। लोककथाएँ केवल कल्पना या रहस्य की कहानियाँ नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत हैं। इन कथाओं में समाज का सामूहिक अनुभव और लोकबुद्धि बोलती है। लोककथाएँ समाज को दिशा देती हैं—वे लोगों को आचरण, नीति, और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही, इनमें लोकनायकों, देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों और सामान्य मनुष्यों के माध्यम से जीवन के आदर्शों को रूपकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। यही उनका विधायक पक्ष है, जो लोकजीवन में नैतिक चेतना और सामाजिक समरसता को बनाए रखता है।

***Keywords:-*** लोककथा, लोकजीवन, नैतिक मूल्य, लोकसंस्कृति, विधायक तत्त्व, सामूहिक चेतना, सामाजिक समरसता।

**परिचय:**

लोक कथा लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग है। लोक मानस की अभिव्यक्ति करने वाली लोक कथाएं संस्कृति को जीवित रखने का साधन हैं। इन कथाओं में मानवीय अनुभूतियों को बड़ी सरसता से अभिव्यक्त किया गया है। इनमें लोक संस्कृति यथा जीवन, विश्वास, परम्पराएं विविध रूपों में प्रतिविम्बत होती हैं। जीवन के आदि काल से ही मनुष्य के सुख-दुख, प्रेम, श्रृंगार, वियोग, वैर सभी क्रिया कलापों को लोक कथाओं में भावों और कल्पनाओं के साथ अभिव्यक्ति मिलती रही है। लोक साहित्य में लोक जीवन पूरी तरह रचा बसा है। लोक साहित्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की उड़ान अधिक है। इसका कारण शायद यह हो कि लोक साहित्य यथार्थ की अपेक्षा आदर्श को अधिक महत्व देता है। साहित्य में आदर्श की स्थापना से समाज में व्याप्त बुराइयों का अन्त कर अच्छाइयों की प्रशंसा की जाती है, यदि ऐसे में यथार्थ का जस का तस चित्रण होगा तो सम्भव नहीं कि सही इंसान का साथ देने के लिए कोई पशु-पक्षी अवतरित हो कर संकट निवारण कर दे। लोक कथाओं में चित्रित बुरे व्यक्ति भी अंत में सज्जन हो जाते हैं। कठोर हृदय वाली सास, सौतेली माँ, बेईमान बनिया आदि पात्र प्रकृति के विधान से दण्डित होकर अंत में कोमल हृदय वाला, बुराइयों से डरने वाला, सीधे सच्चे इसान हो जाते हैं। लोक साहित्य में, अंत में सभी के सुख की कामना रहती है, लोक साहित्य में वर्णनों की स्वाभाविकता विशेषकर ध्यान आकृष्ट करती है। असम्भाव्य घटनाएँ भी इस प्रकार वर्णित की जाती हैं कि सुनने वाले उसे सम्भव मानने लगें। लोक कथाओं के सन्दर्भ में डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि पशु पक्षी, ग्राम- जनपदों के स्त्री-पुरुषों, नगरों के राजा और मंत्री सबके लिए लोक कथा में स्वागत का भाव है। वस्तुत: लोक कथा सबको अपना मानकर जीवित रहती है। उसके लिए त्याज्य कुछ नहीं है। नगर-ग्राम, धनी और निर्धन के जो लडते वर्ग हमने अब कल्पित कर लिये हैं और जिनके तापमान से साहित्य भी अछूता नहीं बचा है, उनके लिए लोक साहित्य में और लोक कथा में भी स्थान नहीं है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लोक कथाओं की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कथाओं का अध्ययन कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि इस शब्द के प्रयोग के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है तथापि लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथानकों के लिए प्रयुक्त होता रहा है जो मौखिक या लिखित परम्परा से क्रमश: एक पीढी से दूसरी पीढी को प्राप्त होते हैं।

डॉ. सत्येंद्र के अनुसार अंग्रेजी में कहानियों का जो प्रकार फेबल कहलाता है और अपने यहां त्रिख्यात या पशु पक्षी कथा भी कह सकते हैं वह तो विशेषत: शिक्षा के लिए उपयोग में आता है। भारत में यह अत्यन्त प्रसिद्ध ही है कि पंचतन्त्र की कहानियां राजकुमारों को राजनीति सिखाने के लिए कही गयी थी। ये राजकुमार पढ़ने में मन नहीं लगाते थे तभी उन्हें ऐसी कहानियों द्वारा शिक्षा दी गई। इन तंत्राख्यानों में पशु-पक्षियों की कहानियां होती हैं और उन कहानियों के


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*

द्वारा किसी न किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य मिलती है। यहां भी यह बात ध्यान में रखने की है कि तंत्राख्यान उन सभी आख्यानों से भिन्न हैं जिनमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं पर उनसे कोई शिक्षा नहीं निकाली गयी।

लोक जीवन में मानव के सुख-दुख, प्रेम-वैर, संयोग-वियोग जैसे भावों ने लोक कथाओं को पुष्ट किया है। लोक कथाएं युग की चेतना को लेकर जीवित रहती हैं। तत्कालीन समाज की भावनाओं, मान्यताओं और सांस्कृतिक परम्पराओं से जीवनी शक्ति प्राप्त करके अपने अस्तित्व को पुष्ट बनाए रखती हैं, लोक कथाएं सामाजिक जीवन की गतिशीलता को अनुप्राणित करती है और भविष्य की कल्पना तथा वर्तमान की चेतना को नई अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। लोक कथाएं न कभी पुरानी होती हैं एव न ही नीरस। ये परिवेश व काल के साथ-साथ युगीन चेतना से समन्वित होकर अपनी सार्वभौमिकता प्रमाणित रहती हैं, आज की समस्याएं भी इन लोक कथाओं में इस प्रकार संवर्धित होती चली जाती हैं कि लगता है जैसे ये कथाएं वर्तमान संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में कही गयी हों। इन कथाओं में भाषा का स्वरूप अवश्य भिन्न होता है, भावाभिव्यक्ति तत्सम्बंधी विषयों में सामयिक रहती है।

कभी-कभी एक प्रदेश में प्रचलित लोक कथा थोड़े से परिवर्तन के बाद दूसरे क्षेत्र में सुनने को मिल जाती है। जिस प्रकार प्रान्त विशेष की संस्कृति मनुष्य द्वारा फैला दी जाती है उसी प्रकार साहित्य भी प्रसारित होता रहा है। कभी-कभी तो एक ही कथा में कहानी कहने वाले कथावाचकों के द्वारा परिस्थिति विशेष के अनुसार परिवर्तन कर लिए जाते हैं। विस्मृति, विशिष्ट संस्कृति, शैली परिवर्तन, भौगोलिक वातावरण आदि कारणों से भी कथाओं में परिवर्द्धन-परिवर्तन हुआ है। अपने सार्थक प्रसंगों के कारण ही ये लोक कथाएं मानव अभिरुचि को बनाये रख सकी हैं। लोक कथाओं के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मैक्सिम गोर्की ने लिखा है - इसमें सन्देह नहीं कि आप बहुत सी प्राचीन कथाएं जानते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके सार तत्व और गहराई को समझ लिया जाए। उनमें आदि पुरुष के अपने श्रम को हल्का करने की कामना, उत्पादन बढ़ाने की लालसा, अपने चार पावों और दो पावों वाले पशु को हराने की इच्छा और शब्द शक्ति से भूत प्रेत को अपसरण करने, जादू-टोनों और मंत्री द्वारा प्रकृति के अन्य प्रकोपों पर प्रभाव डालने की चेष्टा हमे मिलती है। यही उनका सार तत्त्व है।

**लोक कथाओं का रचनातत्व -** लोक कथाएं, लोक गीतों की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं। यहां तक कि गीतों में ही कई कथाएं गुथी हुई हैं। लोक कथाएं भाषा-शिल्प एवं भावों की सरल व्याप्ति के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। लोक कथा की आंतरिक भावाभिव्यक्ति को जानने के लिए लोक कथा के निर्माण तन्तुओं के बारे में जानना आवश्यक है। यदि शास्त्रीय रूप से विवेचन करें तो सात तत्वों को आधार बनाया जाता है - कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, वातावरण, शैली और उद्देश्य। डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार लोक कथा के निर्माण तत्व निम्नलिखित हैं -

1. लोक मानसिक तत्त्व, 2 कथा रूप, 3. पात्र, 4. इरादा, कथानक रूढ़िबद्ध या मूल भाव, 5. सामान्य घटना (इंसीडेंट्स), 6. एक कहानी के संगठनात्मक खंड, 7. अक्षर कथा या कथा मानक (तले टाइप), 8. उपयोग दृष्टि (यूटिलिटी पॉइंट ऑफ़ व्यू), 9. अलंकरण (अम्बेलिशमेंट), 10. वातावरण (एनवायरमेंट)।

लोक कहानी के लोक कहानी होने के लिए लोक मानस की अन्तःव्याप्ति अनिवार्य है। अन्य सामान्य अथवा साहित्यिक कहानियों से लोक कहानी को यही तत्व भिन्नता प्रदान करता है। एक कहानी में लोक मानस के कितने ही स्तर मिल सकते हैं क्योंकि ऐसी कहानी एक अत्यन्त दीर्घ यात्रा करके आज तक आ पाती है। लोक मानस में विविध युगीन लोक संस्कृतियों के अवशेष किसी न किसी बहाने विद्यमान चले आते हैं और वे कहानियों के विधान के विविध निर्णायक तत्वों के रूप में अपना अस्तित्व अभिव्यक्त करते हैं।

लोक कथाओं के कथानक एवं पात्र लोक कथाओं के कथानकों को देखने पर ज्ञात होता है कि लोक कथाओं का आकार बड़ा होता है व उनका कलेवर मुख्यरूप से अनेक छोटी-छोटी कथाओं से गुंथा हुआ है। इन लोककथाओं के पात्र पशु-पक्षी, साँप-बिच्छू, पेड-पौधे, कीड़े-मकोडे, पतंगे आदि सभी आ जाते हैं। प्रकृति से परे चन्द्र-सूर्य, तारे, समुद्र, जल, अग्नि, वायु, पहाड, नदी-नाले, कुए-बावड़ी आदि निर्जीव पदार्थ भी कथा की आत्मा के पात्र के रूप में आए हैं। लोक कथाओं में आए पात्रों के बारे में यह कहा जा सकता है कि कोई भी उपकरण लोक कथाओं में प्रयुक्त होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन कथाओं के पात्र अपने व्यक्तित्त्व को सामाजिकता में एकाकार कर व्यापक अर्थ देने लगते हैं। जैसे शेर - वीरता का सियार-लोमडी छल कपट का, शिव भोलेपन का आदि। लोक-कथाओं के पात्र सद्चरित्र, कुशल तथा पूरी कथा में अच्छाई में आते हैं एवं जो पात्र कुटिलता प्रपंच व बुराई का ही कार्य करता रहेगा वह पूरी कथा में बुरे का प्रतीक होता है।

**लोक कथाओं में अभिप्राय -** श्यामा चरण दुबे का मत है कि अभिप्राय के आधार पर सम्पूर्ण विश्व के लोक कथा साहित्य का विश्लेषण हमें बतलाता है कि मानव के नए अभिप्राय निर्मित करने की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से सीमित है। थोड़े से ही अभिप्राय नए-नए रूप में हमें मानव जाति की लोक कथाओं में मिलते हैं। अभिप्राय कथानक के सभी अंगों को अपने में समेटे हुए है क्योंकि कथानक घटना, चरित्र और कार्य के मेल से बनता है। अभिप्राय घटना के भी हो सकते हैं, चरित्र के भी और कार्य के भी। अभिप्राय कथानक का लोक कथात्मक रूप है और इसीलिए जिस प्रकार कथानक के बिना कथा का अस्तित्व नहीं,


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)

उसी प्रकार प्रत्येक लोक कथा में किसी न किसी प्रकार का एक या अधिक अभिप्राय उपस्थित रहता है। इन लोक कथाओं का मूलरूप लिखित नहीं होता है। यह मुख्यतया मौखिक होता है, अत: उसमें कथोपकथन का सौन्दर्य और शैली का गुण सुनाने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है। मौखिक कथाकार का सबसे बड़ा संबल ही कथोपकथन रहा करता है। संवादों के माध्यम से ही वह चरित्र की विशिष्टिताओं को प्रदर्शित करता है। कथाकार के कहने के दम एवं व्यक्तित्व की छाप कथा पर आए बिना नहीं रहती है। एक ही कथा को मौखिक रूप से दो कथाकारों से सुनने पर भिन्न शैली लगती है। इस संदर्भ में ब्लूमफील्ड का कथन उल्लेखनीय है - "सर्वत्र प्रत्येक कथक्कड और संग्रहकर्ता मानो ऐसा लगता है कि इन अभिप्रायों की सूची माला को उठाता है जिसकी तुलना हम मनके की माला से कर सकते हैं, उसे वह छिन्न-भिन्न कर देता है, जिससे मन के चतुर्दिक बिखर जाते हैं और फिर प्रारम्भ से वह इन मनकों को पिरोता है। इस प्रकार अभिप्राय एक से होने पर भी कई प्रकार की लोक कथाओं का जन्म संभाव्य हो जाता है।" लोक कथाओं में कुछ अभिप्राय - पशु-पक्षियों के मनुष्य की बोली में बात करना; काठ की मोरनी का हार निगलना; तीन वचनों से बचनों से बद्ध करना; दण्ड देने के लिए बारह वर्ष का कष्ट; नीलकंठ का भगवान के पास जाना; सती के श्राप से गाँव का उजड़ना; मनुष्य को मक्खी बनाकर झोली में रख लेना; जूठा पानी पीने से गर्भ ठहर जाना; पार्वती के हठ पर शिव द्वारा संकट हरना; तोते में प्राण होना; भावी संकट की पशु-पक्षियों द्वारा सूचना; सत की परीक्षा लेना; हंसने पर पैप के फूल गिरना; आयु बांट लेना; मुख से साँप निकलना आदि।

**लोक कथाओं में लोक विश्वास** - कुछ लोक विश्वास परम्परा से चले आते हैं तो कुछ सामयिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। किसी घटना या परिस्थितियों से सम्बन्धित कई बार ऐसे विश्वास पैदा होते हैं कि जिनका कोई आधार नहीं होता फिर भी मन उनको मानने को विवश हो जाता है। कहने में तो यह देखा जाता है कि अशिक्षित लोगों में लोक विश्वासों के प्रति आग्रह अधिक होता है, यह बात कुछ अंशों में सही हो सकती है। किन्तु शिक्षित समाज में भी ये लोक विश्वास स्थान बनाए हुए हैं। जैसे छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना आदि। ये लोक विश्वास मानव मन की आशा को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। मनुष्य को दुख में सांत्वना देते हैं मेलीनास्की के शब्दों में कथाओं में विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है और वे विश्वासों को एक निश्चित स्थिर रूप देती हैं और समाज में उनका सम्मान बढ़ाने में सहायक होती हैं। यहां पर कुछ मुख्य लोक विश्वासों का ही उल्लेख किया गया है - परिवारसंबंधी,पशु-पक्षी सम्बन्धी, जन्म-मरण और विवाह सम्बन्धी, यात्रा संबंधी, भोजन संबंधी, दिशा संबंधी, देवी-देवता सम्बन्धी, छींक से संबंधित, वर्षा संबंधी, भाग्य संबंधी, शाप वरदान सम्बन्धी, हवा संबंधी, लोक-परलोक संबंधी, स्वप्न संबंधी लोक विश्वास एवं मान्यताएँ आदि।

**लोक कथाओं में उपमान** - हिन्दी में उपमान को अवर्णनीय, अप्रस्तुत, अप्रासंगित आदि भी कहते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उपमान के लिए अप्रस्तुत योजना और अप्रस्तुत विधान शब्दों का प्रयोग किया है। लोक साहित्य में उपमानों का अधिक प्रयोग होता है। लोक साहित्य में प्रयुक्त उपमान प्राय लोक जीवन से लिए जाते हैं, इस कारण बडे सरस होते हैं। लोक साहित्य में प्राकृतिक उपमान अधिक होने से लोक साहित्य रूचिकर होता है। लोक साहित्य में आये कतिपय उपमान इस प्रकार हैं -

केश - साँप, भंवरा
आँखे - हिरणी की आँख, बिल्ली की आँख, कमेडी की आँख, छुरी, खरगोश की आँख, आदि।
नाक - तोते, पकौड़े
सुन्दर चेहरा - चांद, चम्पा का फूल, गुड की डली, मक्खन का लौंदा
काला रंग - तवा का निचला पाट
चेचक के दाग - गोबर पर बारिश, तत्तइयों का छत्ता
दाँत - मोती अनार के दाने, चावल
गर्दन - कबूतर की गर्दन, ऊंट की गर्दन, सुराही
चाल (गति) - हंस की चाल, हथिनी की चाल, ऊंट की चाल, बिल्ली की चाल
झुर्रीदार चेहरा - सूखा हुआ छुआरा
धूर्त, चालाक - लोमड़ी, सियार, बिलौटा।

लोक साहित्य में इस प्रकार के विविध उपमान देखने-सुनने को मिलते हैं जो लोक साहित्य के साथ जीवन की जीवन्तता को भी बनाए रखते हैं।

**लोक कथाओं में सूक्तियां** - सूक्तियां गहन अनुभवों को अपने में समेटे हुए हैं। इनमें गुम्फित शाश्वत सत्य ध्रुव तारे की भांति पथ-भूले को मार्ग (दिशा) का संकेत देता है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूक्तियों में नीति के वचन थोडे शब्दों में गागर में सागर की भांति बड़ी सुन्दरता से व्यक्त होते हैं। इनमें


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)

उपदेश देने की छटा निराली होती है। सूक्तियों की आवश्यकता प्रायः विद्यार्थियों, उपदेशकों, साहित्यकारों एवं राजनीतिज्ञों को बराबर पड़ा करती है। भावों को सजा संवार कर सजीव बनाने एव वक्तृव्य कला को चमकाने में ये बड़ी सहायक होती हैं। सूक्तियां लोक जीवन की आस्थाओं और विश्वासों को अपने में समेटे हुए होती है। इन सूक्तियों में लोक मानस की भी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार लोक गाथा की निम्ननिखित विशेषताएं प्राप्त होती हैं जिनका उल्लेख ए. बी. गमियर ने अपनी पुस्तक ओल्ड इग्लिश बैलेट्स की भूमिका में किया है-

1. उसमें आत्म-व्यंजक तत्व का पूर्ण अभाव होता है अर्थात वह अनिवार्यत: वस्तु व्यंजक होता है।
2. यह लोक का काव्य है। लोक द्वारा ही उसका निर्माण और विकास होता है। कंठानुकंठ प्रसार और प्रचार होने के कारण उसका निश्चित पाठ नहीं होता और न उसकी लिखित प्रतियां होती हैं।
3. उसमें श्रम साध्य कलात्मकता नहीं होती किन्तु यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसमें आवश्यक भरती की सामग्री और वाग्जाल नहीं होता।
4. उसमें परम्परा प्रेम की भावना, सहजोच्छवास, भावनात्मकता और सरल कल्पना की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतनी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और श्रम साध्य कलात्मकता की नहीं।
5. उसमें भाषा और विचारों की सरलता होती है और नैसर्गिकता तो ऐसी होती है जो केवल प्रारंभिक मानव समाज ही में मिलती है।
6. उसमें रूढ, अस्वाभाविक और श्रम साध्य अलंकारों, मुहावरों और विशेषणों की आवृत्ति बार-बार होती है।
7. उसका छंद सीधा-सादा और सरल होता है और तुकों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।
8. उसमें गेयता होती है परन्तु वह शास्त्रीय संगीत से भिन्न सरल होती है।
9. उसमें कोई छोटी या बड़ी कथा अवश्य होती है।

बोलचाल की ग्रामीण भाषा में गुम्फित ये पौराणिक गाथाएं, वीर गाथाएं एवं प्रेम गाथाएं लोक जीवन की युगीन प्रवृत्तियों की परिचायिका हैं, अतः समाज की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गति-विधि के अध्ययनार्थ इनकी बड़ी उपयोगिता है।

**निष्कर्ष**

लोककथाएँ भारतीय लोकसंस्कृति की आत्मा हैं, जो समाज के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को जीवंत बनाए रखने का कार्य करती हैं। इनमें लोकजीवन की सहजता, सरलता और सच्चाई के साथ-साथ जीवन को दिशा देने वाले अनेक **विधायक तत्त्व** निहित हैं। लोककथाएँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वे समाज के चरित्र-निर्माण, नैतिक अनुशासन और मानवीय मूल्यों के संवाहक के रूप में कार्य करती हैं। इन कथाओं के माध्यम से समाज अपने आदर्शों—सत्य, करुणा, प्रेम, परिश्रम, साहस और न्याय—को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाता है। लोककथाओं में अच्छाई और बुराई के द्वंद्व के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि सद्गुणों का पालन और नैतिक आचरण ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। यही उनका **विधायक स्वरूप** है, जो लोकसमाज में नैतिकता और मानवता की जड़ों को पुष्ट करता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोककथाएँ लोकजीवन की शिक्षिका हैं—वे न केवल संस्कृति का संरक्षण करती हैं, बल्कि समाज के नैतिक ढाँचे का निर्माण भी करती हैं। उनके **विधायक तत्त्व** आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने वे प्राचीन काल में थे। लोककथाएँ समय, समाज और संस्कृति के बदलते स्वरूप के बावजूद मानवता, नैतिकता और लोकधर्म की शाश्वत शिक्षाएँ प्रदान करती रहती हैं।

**संदर्भ ग्रंथ -**

1. डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल - लोक कथाएं और उनका संग्रह कार्य
2. डॉ. सत्येन्द्र - लोक साहित्य विज्ञान
3. डॉ. श्यामाचरण दुबे - मानव और संस्कृति
4. सूक्ति सागर
5. ए. बी. डमियर - ऑल्ड इंग्लिश बैलेड्स


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)